CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

▫ वर्ष- 28 ▫ अंक- 2 ▫ रायपुर, शुक्रवार 24 जनवरी 2025 ▫ पृष्ठ-8 ▫ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • बिलासपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

खड़े ट्रक से जा टकराई बस, बच्ची की मौके पर मौत, 43 यात्री घायल

नेशनल हाइवे पर हुआ हादसा

महासमुंद, 24 जनवरी (हाईवे चैनल)। सरायपाली के घंटेश्वरी मंदिर के समीप नेशनल हाइवे 53 पर आज अलसुबह यात्री बस खड़े ट्रक से जा टकराई. दुर्घटना में बस में सवार छह माह की दुधमुंही बच्ची की मौत हो गई, वहीं 43 यात्रियों को चोट आई है, जिनमें से 19 लोगों की हालत गंभीर है।

जानकारी के अनुसार, बस क्रमामक ष्त्त 23 ह्र 2400 दुर्ग से पुरी जा रही थी. रास्ते में सुबह करीबन चार बजे सरायपाली के घंटेश्वरी मंदिर से करीबन 200 मीटर की दूरी पर खड़े ट्रक से बस जा भिड़ी. दुर्घटना के तुरंत बाद यात्रियों की चीख-पुकार शुरू हो गई. दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए सरायपाली सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाया. राजस्थान में रजिस्टर ट्रक (आरजे 17 जीए 5673) बीते दो दिनों से खराब हालत में खड़ा था।

पेड़ से टकराई बस, 25 से ज्यादा यात्री घायल

राजनांदगांव, 24 जनवरी (हाईवे चैनल)। जिले में राजनांदगांव से घुमका जा रही बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. इस हादसे में बस में सवार 25 से अधिक यात्रियों को चोटें आई है. घायलों को जिला मेडिकल कॉले में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है. बताया जा रहा कि सभी खतरे से बाहर हैं. स्थिति सामान्य है.

यह हादसा तिलाई के पास हुआ. बस राजनांदगांव से घुमका जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया. घटना की सूचना मिलते ही चिखली पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. बताया जा रहा कि बस जागीरदार ट्रेवल्स की है. बस में सवार यात्रियों का कहना है कि बस में 35 यात्री सवार थे. बाइक को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई है. उनके परिवार के लोगों को चोट भी आई है, जिसका इलाज चल रहा है. बस के परिचालक नीलम ताम्रकार का कहना है कि गाड़ी राजनांदगांव से जालबांधा जा रही थी. ओवरटेक करते हुए बाइक को बचाने के चक्कर में बस पेड़ से टकरा गई, जिसमें यात्री घायल हुए हैं. सीएसपी पुष्पेंद्र नायक ने बताया, 25 से अधिक घायलों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है, जहां सभी का उपचार किया जा रहा है.

श्री सीमेंट की जांच रिपोर्ट आई सामने लापरवाही पर कलेक्टर ने दिया नोटिस

एक के बाद एक 40 बच्चों की बिगड़ी थी तबीयत

बलौदाबाजार, 24 जनवरी (हाईवे चैनल)। श्री सीमेंट से निकलने वाली बदबूदार गैस के कारण खपराडीह स्कूल के विद्यार्थियों की तबीयत अचानक बिगड़ने के मामले में अब सीमेंट कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है. कलेक्टर दीपक सोनी ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कंपनी प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और तत्काल व्यवस्था सुधारने निर्देश दिया है. बता दें, हाल ही मे बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के खपराडीह स्कूल में अचानक कई बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी. इस मामले में श्री सिमेंट प्लांट पर आरोप लगे कि प्लांट के स्न्रक से निकलने वाली बदबूदार गैस की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ी. घटना के दिन कलेक्टर-एसपी तत्काल अस्पताल में बच्चों से मिलने पहुंचे थे. उन्होंने घटना के बाद तत्काल जांच टीम बनाकर जांच करवाई, जिसमें श्री सीमेंट कंपनी की लापरवाही सामने आई है. जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए श्री सीमेंट को नोटिस जारी कर दिया है. जानकारी के मुताबिक, मामले में कलेक्टर के निर्देश के बाद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिमगा, सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सहायक संचालक, हाईजिन लैब रायपुर, प्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बलौदाबाजार, क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, सहायक अभियंता, पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर एवं वैज्ञानिक पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर ने 22 जनवरी 2025 को श्री सीमेंट प्लांट खपराडीह की संयुक्त जांच की. जांच में पाया गया कि श्री सीमेंट संयंत्र में कारखाना अधिनियम 1948 के तहत नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है. इस पर सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ने कारखाने के अधिभोगी नीरज अखौरी और कारखाना प्रबंधक विजय अग्रवाल को तत्काल व्यवस्था सुधारने करने के निर्देश दिए और कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है.

ब्रेकिंग न्यूज

पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सिविल कोर्ट में किया सरेंडर

नई दिल्ली, 24 जनवरी (न्यूज चैनल)। मोकामा गोलीकांड में पूर्व विधायक अनंत सिंह ने शुक्रवार को बाढ़ सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इससे पहले आज, पुलिस ने 22 जनवरी को हुई घटना के लिए सोनू सिंह और रोशन नाम के दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। गोलीबारी तब हुई जब अनंत सिंह कुछ स्थानीय लोगों द्वारा उनके संज्ञान में लाए गए कुछ विवादों को निपटाने के लिए अपने लोगों के साथ नौरंगा गांव पहुंचे। अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल भेजा जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, पटना जिले के बाहरी इलाके बाढ़ के नौरंगा गांव में दो गुटों के बीच गोलीबारी में 12 से 15 राउंड गोलियां चलीं। बाढ़ के सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) राकेश कुमार ने बताया कि शाम को नौरंगा गांव में गोलीबारी की घटना होने की सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और तीन चले हुए कारतूस बरामद किये।

वक्फ बिल पर अहम बैठक

नई दिल्ली, 24 जनवरी (न्यूज चैनल)। कश्मीर के धार्मिक प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक शुक्रवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर संसदीय पैनल के सामने पेश होंगे और मसौदा कानून के बारे में अपनी आपत्तियां बताएंगे। भाजपा नेता जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति ने भी विपक्षी नेताओं द्वारा व्यक्त की गई आपत्तियों के बाद मसौदा कानून के खंड-दर-खंड विचार पर अपने विचार-विमर्श को अगले सप्ताह के लिए टाल दिया। समिति अब सोमवार को इस विधेयक पर विस्तार से विचार करेगी। मीरवाइज के अलावा, समिति शुक्रवार को लॉयर्स फॉर जस्टिस समूह के विचारों को भी सुनने वाली है।

चूहा- सुनती हो, शिवसेना (यूबीटी) ने बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न देने की मांग की है।

चुहिया- हां जी, जब उनकी सत्ता थी तब क्यों नहीं दिलवाए ?

छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

रायपुर, 24 जनवरी (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार प्रकरण में केंद्रीय जेल में निरुद्ध भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की ओर से ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए है। विधायक देवेंद्र यादव की ज़मानत याचिका पर सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी। बलौदाबाजार प्रकरण में ही जेल में बंद आरोपी नारायण मिरी को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। नारायण मिरी और विधायक देवेंद्र यादव दोनों के ही ज़मानत आवेदन पर सुनवाई जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस विनोद के चंद्रन की पीठ ने की है। बलौदाबाजार में सतनामी समाज सम्मेलन के दौरान शामिल हुए लोग बलवाइयों में तब्दील हो गए। इस भीड़ ने सरकारी अमले पर जानलेवा हमला किया और संपत्ति को जलाया था।इस मामले में सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया है जबकि कुछ अब भी फरार बताए गए हैं। जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से नारायण मिरी पहले आरोपी हैं जिन्हें ज़मानत मिली है।

भंडारा जिले में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बड़ा धमाका, 8 कर्मचारियों की मौत

नई दिल्ली, 24 जनवरी (न्यूज चैनल)। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के जवाहर नगर इलाके में आज सुबह आयुध कारखाने में विस्फोट होने से 8 व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य फंस गए। अग्निशमन कर्मियों और एम्बुलेंस सहित बचाव दल को घटनास्थल पर तैनात किया गया है। विस्फोट के कारण फैक्ट्री की छत ढह गई और अर्थमूवर्स फिलहाल मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। भंडारा जिला कलेक्टर संजय कोलटे के अनुसार, कई लोग फंसे हुए हैं, अब तक कुल चौदह लोगों को बचाया जा चुका है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि भंडारा में ऑर्डनेंस फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोग घायल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र के भंडारा में आयुध फैक्ट्री में विस्फोट के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। बचाव दल घटनास्थल पर तैनात हैं। प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

महाराष्ट्र के सीएम देवेन्द्र फड़णवीस ने कुछ देर पहले कहा कि भंडारा जिले की ऑर्डनैस फैक्ट्री में हुए विस्फोट में छत गिरने से 13 से 14 मजदूरों के फंसने की खबर है। अभी तक मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक दुर्भाग्यवश एक मजदूर की मौत हो गई है। 5 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौके पर हैं और हर तरह की मदद मुहैया करायी जा रही है. बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ और नागपुर नगर निगम की टीमों को भी बुलाया गया है और वे जल्द ही पहुंच जाएंगी। जिला प्रशासन रक्षा बलों के साथ समन्वय में बचाव कार्यों में शामिल है।

अजित पवार ने वीएसआई की बैठक में भाग लिया

नई दिल्ली, 24 जनवरी (न्यूज चैनल)। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बृहस्पतिवार को 2023 में राकांपा के विभाजन के बाद पहली बार वसंतदादा चीनी संस्थान (वीएसआई) की वार्षिक आम सभा की बैठक में भाग लिया, लेकिन राकांपा (शरदचंद्र पवार) प्रमुख और संस्थान के अध्यक्ष शरद पवार से कुछ दूरी पर बैठे। अजित पवार पुणे स्थित वीएसआई के सदस्य हैं, जो चीनी उद्योग का एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। प्रारंभिक व्यवस्था के अनुसार, दोनों को एक-दूसरे के बगल में बैठना था, लेकिन उपमुख्यमंत्री ने अपनी नेमप्लेट एक कुर्सी दूर कर दी, जिससे राज्य के सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल उनके बीच बैठ गए।

मोतियाबिंद ऑपरेशन में लापरवाही, 4 मरीजों की आखों की रोशनी गई, जांच शुरू

रायपुर, 24 जनवरी (हाईवे चैनल)। सरकारी अस्पतालों में मोतियाबिंद ऑपरेशन के दौरान लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। दंतेवाड़ा के बाद अब सूरजपुर जिले में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। कोरिया जिले के सरकारी अस्पताल में 24 दिसंबर और 15 जनवरी को मोतियाबिंद ऑपरेशन किए गए थे, जिनमें से चार मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई है। जानकारी के अनुसार, 24 दिसंबर को 10 मरीजों और 15 जनवरी को 3 मरीजों का ऑपरेशन हुआ। इनमें से दिसंबर के 3 और जनवरी के 2 मरीज ऑपरेशन के बाद गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए चार मरीजों को रायपुर के आंबेडकर अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनकी स्थिति का खुलासा हुआ।

घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। कोरिया जिले के कलेक्टर ने मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, नायब तहसीलदार, और नेत्र रोग विशेषज्ञ की एक समिति बनाई है। समिति ने ऑपरेशन थिएटर से सैंपल लिए हैं, जिनकी जांच जारी है। आंबेडकर अस्पताल में तीन मरीजों का नेत्र रोग विशेषज्ञों की निगरानी में इलाज हो रहा है। डॉक्टरों के अनुसार, जरूरी दवाओं और सर्जिकल उपचार के बाद उनकी स्थिति स्थिर है। अस्पताल के अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर और डीन डॉ. विवेक चौधरी ने मरीजों की बेहतर देखभाल के निर्देश दिए हैं। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, दो मरीजों की विट्रेक्टॉमी सर्जरी की जा चुकी है, जबकि तीसरे मरीज को फिलहाल सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। इन मरीजों का इलाज नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉ. निधि पांडेय की टीम कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि हालात नियंत्रण में हैं। डॉक्टरों ने बताया कि प्रभावित मरीजों को 16 जनवरी को इंट्राविट्रियल इंजेक्शन देकर रायपुर रेफर किया गया था। 17 जनवरी को उनकी सर्जरी की गई, और 21 जनवरी को एक अन्य मरीज को भी उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। फिलहाल सभी मरीज स्थिर हैं।

मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने से धर्म परिवर्तन नहीं होता : दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली, 24 जनवरी (न्यूज चैनल)। दिल्ली हाई कोर्ट ने संपत्ति के बँटवारे से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति से विवाह करने से किसी हिंदू व्यक्ति का धर्म स्वचालित रूप से परिवर्तन नहीं होता। कोर्ट ने यह भी कहा कि विवाह के बाद महिला ने अपना धर्म नहीं बदला, इसलिए उसे अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। यह मामला 'डॉक्टर पुष्पलता एवं अन्य बनाम रामदास ॥स्न एवं अन्य' केस से जुड़ा है, जिसमें महिला ने अपने पिता की संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमा दायर किया था। कोर्ट के इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया कि धर्म परिवर्तन के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है, न कि सिर्फ शादी से धर्म परिवर्तन माना जाएगा। रामदास, जो दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते थे, उन्होंनें दो शादियाँ की थीं। पहली पत्नी से उनकी दो बेटियाँ थीं, जबकि दूसरी पत्नी से दो बेटे थे। साल 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद बेटियों को भी पिता की संपत्ति में अधिकार मिल गया। साल 2007 में बड़ी बेटी ने संपत्ति को लेकर मुकदमा दायर किया और आरोप लगाया कि उनके पिता की दूसरी पत्नी के बेटे उनकी सहमति के बिना संपत्ति बेच रहे थे। इस दौरान पिता ने यह दावा किया कि उनकी बड़ी बेटी अब हिंदू नहीं रही, क्योंकि उसने पाकिस्तान मूल के एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर ली थी और अब वह ब्रिटेन में रहती थी। इसलिए, उसके पास उनकी संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में यह साफ किया कि केवल मुस्लिम व्यक्ति से विवाह करने से किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं हो जाता है। जस्टिस जसमीत सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रतिवादियों (पिता और उनके बेटों) ने यह साबित करने के लिए कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया कि महिला ने हिंदू धर्म त्यागकर इस्लाम धर्म अपनाया है। महिला ने हलफनामे में यह स्पष्ट किया था कि उसने अपने नागरिक विवाह के बाद भी हिंदू धर्म का पालन किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि चूँकि महिला ने अपना धर्म नहीं बदला, इसलिए वह एचयूएफ (हिंदू अविभाज्य परिवार) संपत्ति में अपना हिस्सा, दावा करने की हकदार है। कोर्ट ने यह भी माना कि महिला को एचयूएफ के नाम पर पीपीएफ खाते में जमा राशि का 1/4 हिस्सा और दो संपत्तियों में से हिस्सेदारी का अधिकार है। यह फैसला संपत्ति विवादों में महिलाओं के अधिकारों के प्रति एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।